संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-113/2015

प्रेषक,

कुमुदलता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 26 जुलाई, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मेडिकल कालेज, फैजाबाद के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार की योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल" के अन्तर्गत फैजाबाद, बस्ती, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर के जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/22/2015-एम0ई0-।।, दिनॉक 16-02-2016 द्वारा प्रत्येक मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए रू0 04 करोड़ अर्थात कुल रू0 16 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के मेमो नं0 16 दिनॉक 20-02-2016 तथा एडवाइस नं0-1385पी दिनॉक 19-02-2016 के द्वारा राज्य के समेकित निधि में जमा हुई है। प्रश्नगत योजना का फण्डिंग पैटर्न 75:25 है।

2- व्यय वित्त समिति द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, फैजाबाद के निर्माण हेतु रू0 18901.19 लाख की लागत अनुमोदित की गई है। अत: इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, फैजाबाद हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1,89,01,19,000/- (रू0 एक अरब नवासी करोड़ एक लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 5,00,00,000/- (रू0 पॉच करोड़ मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा।

11- प्रस्तावित भवनों का निर्माण एम0सी0आई0 मानकों के अनुरूप कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।

12- प्रायोजना का आगणन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित किया गया है। अत: प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही प्रायोजना के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।

13- प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, सब स्टेशन इक्यूपमेन्ट, मेडिकल इक्यूपमेन्ट, डी0जी0 सेट, ट्रान्सफार्मर का प्राविधान किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर में लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

14- प्रायोजना प्रस्ताव में ओवर हेड टैंक, अन्डर ग्राउण्ड टैंक, लेबलिंग, आन्तरिक रोड एवं पाथवे, सीवर, फिल्टर वाटर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्ट्राम वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर आपरेशन, स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड, ट्यूबवेल एवं बोरिंग, बाउण्ड्रीवाल, मेन इन्ट्रेन्श गेट, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, कैटिल कैचर, सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, सब स्टेशन इक्यूपमेन्ट, मेडिकल इक्यूपमेन्ट की लागत एकमुश्त/डी0एस0आर0 के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन संबंधित जनपद के एस0ओ0आर0 पर गठित किया जाये तथा इस पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाये।

15- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव की लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-999/दस-2016, दिनॉक 21 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(कुमुदलता श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-146/2016/1802(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
6- नियोजन-अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।